भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3372

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

सहकारी क्षेत्र के बैंकों के कारोबार में विविधता लाना

3372. श्री शंकर लालवानीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सहकारी क्षेत्र के बैंकों के कारोबार में विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या उक्त बैंकों को वाणिज्यिक अचल संपत्ति ऋण और आवासीय ऋण देने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सहकारी क्षेत्र के बैंकों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार ने सहकारी क्षेत्र के बैंकों के कारोबार में विविधता लाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित* शामिल हैं:

(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के ऋण गारंटी निधि न्याय (सीजीटीएमएसई) ने 03 फरवरी 2022 को राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के रूप में अधिसूचित किया है, जिसने सहकारी क्षेत्र के बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन किया है।

(ii) आरबीआई द्वारा दिनांक 08 जून 2022 की अधिसूचना के तहत राज्य सहकारी बैंकों(एसटीसीबी), जिला सहकारी बैंकों(डीसीसीबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा दिए जाने वाले आवास ऋण की सीमा में वृद्धि की गई है।

(iii) राज्य सहकारी बैंकों(एसटीसीबी), जिला सहकारी बैंकों(डीसीसीबी) को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसेकि कृषि अवसंरचना निधि(एआईएफ), पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रोसेसिंग उद्यमों के औपचारिकरण(पीएमएफएमई) सम्बंधी योजनाओं के अंतर्गत पात्र वित्तीय संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि अल्पसेवित क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

(iv) प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) को डेयरी, मत्स्यपालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज आदि खरीदने सहित 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को आरम्भ करके अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाने के लिए आदर्श उप नियम तैयार किए गए हैं।

(ख) से (घ) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों), दोनों को समग्र आवास वित्त सीमा के भीतर वाणिज्यिक रियल एस्टेट रिजिडेंसियल हाउसिंग (सीआरई-आरएच) सम्बंधी ऋण देने की अनुमति दी गई है। इससे सहकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अपने विशाल शाखा नेटवर्क के माध्यम से लोगों को किफायती आवास प्रदान करके आवास क्षेत्र के लिए ऋण देने का दायरा बढ़ गया है।

******